9

भारतीय सन्दर्भ में समाज कार्य नैतिक संहिता

* जोसेफ़ वर्गीस

प्रस्तावना

भारतीय समाज जिन प्रमुख समस्याओं का सामना करता है, वे अधिकारों का दुरुपयोग, भ्रष्टाचार और सामाजिक विभेद है। समाज कार्यकर्ता इस समाज का उसी प्राकर से हिस्सा है जैसे कि कोई अन्य व्यक्ति। निस्संदेह, वे इन मूल्यों से प्रभावित होंगे। उनके व्यक्तित्व ने इन मूल्यों को अन्तग्रहर्ण कर लिया होगा और चेतन या अचेतन रूप से उनके व्यवहार इन मूल्यों के व्यक्त करते हैं। परन्तु समाज कार्य व्यवसाय इस बात की वकालत करता है कि मूल्य इन मूल्यों से आमूल परिवर्तनवादी रूप से भिन्न हैं। समाज कार्य मूल्यों की गहन समझ की आवश्यकता होती है जिससे कि व्यावसायिक आचरण किसी अन्य मूल्यों की अपेक्षा इन मूल्यों से निर्देशित हों। नैतिक संहिता से संबंधित एक अन्य विषय है कि इनमें से अधिकांश, पाश्चात्य अनुभव पर आधारित है और इनकी भारतीय परिस्थिति में प्रयोज्यता प्रायः संदेहास्पद होती है। इस अध्याय में हम इन विषयों पर संक्षेप में चर्चा करेंगे।

केस की स्थितियाँ

हम अपना विवेचन आरम्भ करने से पूर्व आपके सम्मुख कुछ केसों की स्थितियाँ प्रस्तुत कर रहे हैं जिससे कि समाज कार्य व्यवहार में मूल्यों और आचार संहिता का महत्व स्पष्ट हो जाए। अपने को इन स्थितियों में रखने का प्रयत्न कीजिए और निर्णय कीजिए। कल्पना कीजिए कि आपके पास निर्णय लेने के लिए और उन्हें कार्यान्वित करने की शक्ति है।

1) आप एक संस्था के प्रशासक हैं और आप वित्तयी सहायता हेतु निर्धन परिवारों के आवदेन पत्र सरकारी संसथाओं को भेज रहे हैं। आपका अधीनस्थ आप से, दस्तावेज़ों में प्रदर्शित परिवारों की वार्षिक आय को कम करवाना चाहता है क्योंकि वह महसूस करता/करती है कि इससे उनके सहायता प्राप्त करने के अवसर बढ़ जाएंगे। इसके अतिरिक्त वह यह भी कहता है कि अन्य सभी

* जोसेफ वर्गीस, विश्व भारती, श्रीनिकेतन, पश्चिम बंगाल

दस्तावेज़ों में प्रदर्शित परिवारों की वार्षिक आय को कम करवाना चाहता है क्योंकि वह महसूस करता/करती है कि इससे उनके सहायता प्राप्त करने के अवसर बढ़ जाएंगे। इसके अतिरिक्त वह यह भी कहता है कि अन्य सभी संस्थाएँ ऐसा करती हैं और यदि आपकी संस्था ऐसा नहीं करती तो आपके समुदाय के परिवार हानि में होंगे। क्या आप पिरवारों की सहायता के लिए जानबूझ कर गलत सूचना देने के लिए सहमत होंगे ?

2) एक महिला निर्धन परिवारों से मादा शिशुओं को खरीदती है और परिवारों को धनवान होने के लिए उनके गोद लेने का प्रस्ताव देती है। वह दावा करती है कि इस प्रक्रिया में वह धन अर्जित नही कर रही है और उसकी रूचि केवल मादा शिशुओं तथा साथ–साथ परिवारों की भी सहायता करने में है। वह कहती है कि यदि बच्चों को परिवारो से हटाया नहीं गया तो उनके मार दिए जाने या उनके साथ दुर्व्यवहार किए जाने, जिसका भी सम्भवतः परिणाम मृत्यु ही है, की सम्भावना अधिक है। (वह अपने बिन्दुओं को प्रमाणित करने के लिए कुछ निश्चित आँकड़े प्रस्तुत करती है)। वह कहती है कि वह कानून तोड़ रही है परन्तु इसकी तुलना वह गांधी जी के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरन तोड़े गए कानून से करती है। यह लक्ष्य इस प्रक्रिया में बिना किसी की हानि के साथ समाज की बृहत्तर भलाई के लिए है। क्या वह सही कर रही है ?

3) एक व्यक्ति एक दुर्घटना के पश्चात रक्त संचारण के दौरान एच. आई. वी/ एड्स से संक्रमित हो जाता है। वह कहता है कि उसके पारिवारिक सदस्यों को यह सूचना नहीं दी जानी चाहिए क्यों कि वह घर से बाहर निकाल दिया जाएगा और उसके पास जाने के लिए कोई स्थान नहीं है फिर भी परिवार के दूसरे सदस्यों, विशेष रूप से उसकी पत्नी के संक्रमित हो जाने का खतरा है। क्या आपको इस सूचना को गोपनीय रखना चाहिए या व्यक्ति के स्वास्थ्य के स्तर का उसकी पत्नी/पारिवारिक सदस्यों के सम्मुख प्रकट कर देना चाहिए?

4) आपके सहकर्मी परामर्श केन्द्र में सेवार्थियों की समस्या पर बातचीत करते हैं। और उनकी समस्याओं का मजाक बनाते हैं। जब आप उनसे कहते हैं कि वे ऐसा क्यों करते हैं तो वे कहते हैं कि सूचना इस समूह से बाहर नहीं जाती है और सेवार्थी इसके बारे में कभी नहीं जान पाएंगे। जब आप कहते हैं। कि इसकी शिकायत आप अपने उच्च अधिकरी से करेंगे तो वे कहते हैं कि यदि

आप कार्यवाही करेंगे तो वे आपसे सारे सम्बन्ध तोड़ देंगे। क्या आप एक ऐसी समस्या जिससे कोई भी प्रभावित प्रतीत नहीं होता उसके लिए समूह द्वारा बहिष्कृत किए जाने के इच्छुक होंगे ?

5) आपका वरिष्ठ अधिकरी समुदाय में स्वास्थ्य कार्यक्रम का संचालन करता है परन्तु उन्हें शैक्षिक कार्यक्रम बताकर गलत सूचना देता है। जब आप उससे कहते हैं कि वह ऐसा क्यों करता है तो वह कहता है कि संस्था में नौकरशाही व्यवस्था ने समस्या की गलत जानकारी को आगे बढ़ाया है और समुदाय की आवश्यकता स्वास्थ्य जागरूकता है शिक्षा नहीं। क्या वह अभिलेखों में की गयी हेरा फेरी के लिए सही है ?

6) एक अविवाहित महिला अपने पेट में पल रहे बच्चे का गर्भपात कराने हेतु आपसे सहायता पाने के लिए आती है। वह कहती है कि वह बच्चा नहीं चाहती है क्यों कि अजन्मे बच्चे के पिता ने उससे विवाह करने से मना कर दिया है उसके माता–पिता ने उसका विवाह किसी और के साथ तय कर दिया है। परन्तु यदि उन्हें उसके गर्भवती होने की बात की जानकारी हो जायेगी तो वे निश्चित रूप से विवाह रद्द कर देंगे। गर्भावस्था ऐसीस्थिति में पहुच गयी है कि जहाँ वह वैध गर्भपात नहीं होगा। महिला ने अपनी स्थिति के विषय में अपने माता पिता को सूचित नहीं किया है और ऐसा करने का इरादा भी नहीं रखती है क्या आप उसकी गर्भपात में सहायता करेंगे/करेंगी हालांकि यह अवैध है ?

7) एक पुलिस वाला एक अपराधी को यह कहत हुए उत्पीड़ित करता है कि वह दोषी है और दण्ड का पात्र है। क्या आप सोचते हैं कि ऐसा करने में पुलिस वाला सही है ?

8) आपका सेवार्थी (विपरीत लिंग) आपके सामने शादी का प्रस्ताव रखता/रखती है। वह कहता/कहती है कि आप दोनों की सामाजिक पृष्ठभूमि समान है इसलिए विवाह कर लेना चाहिए। उसने यह बिन्दु सामने रखा कि ऐसे असंख्य उदाहरण हैं जहाँ व्यावसायिक सम्बन्ध व्यक्तिगत हो गए हैं। उदाहरणक लिए एक ही कार्यालय में कार्य कर रहे सहकर्मी विवाह कर लेते हैं, डाक्टर नर्सों से विवाह करते हैं और इसी प्रकार से अन्य। क्या आप प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे, यदि आप ऐसा सोचते/सोचती हैं कि वह आपके जीवन साथी की आवश्यकता के अनुरूप है।

जैसा कि आपने सम्भवतः ध्यान दिया होगा कि उपरिलिखित अधिकांश मामले परिस्थितियों से सम्बन्धित है जिसमें सभी विकल्प उपलब्ध हैं जो कि एक से लेकर अन्य परिप्रेक्ष्य मे प्रतीत होते हैं। वास्तविक जीवन में भी अधिकांश बार समाज कार्यकर्ता प्रायः इस प्रकार की स्थितियों का सामना करते हैं। इसलिए आचार संहिता के आयामों के लिए निर्णय लेने की समझ महत्वपूर्ण होती है। हमारे पास निधियों के दुर्विनियोग, सेवार्थी का उनकी देखभाल के दौरान यौन दुरूपयोग, तथा बच्चों के साथ दुर्व्यवहार और उत्पीड़न तथा इसी प्रकार अन्य के विषय में समाचार पत्रों में छपी खबरों के उदाहरण हैं अब यह स्पष्ट रूप से कानून और व्यवसाय की संहिता की दृष्टि से गलत

है हमने ऐसी परिस्थितियों के उदाहरण नहीं दिए हैं हमने उन गतिविधियों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए चुना है जो 'प्राचीन' या संदिग्ध प्रकृति की हैं।

नीति शास्त्र-एक परिचय

नीति शास्त्र को नैतिकता सम्बन्धी दर्शन भी कहा जाता है जो कि क्या सही है और क्या गलत है, से संबंधित है। इसे दो भागों में विभाजि किया जा सकता है। आदर्श नीति शास्त्र और अधिनीति शास्त्र। आदर्श आचार शास्त्र उन सिद्धान्तों के साथ कार्य करता है जिनसे हम जीवित हैं। अधिनीतिशास्त्र का विषय व्यापक है एवं यह प्रकृति और नैतिक न्याय के विधितंत्र के साथ कार्य करता है। दूसरे शब्दो में, किस आधार पर निर्णय किया जाए। उदाहरण के लिए क्या समाज में खुशहाली को बढ़ावा देना या पूर्णतावाद को बढ़ावा देना निर्णय के अन्तिम परिणाम होने चाहिए? धार्मिक लोग ईश्वर की इच्छा पर उनका भावी विश्वास क्या है औ ईश्वर के शब्दों पर अपने निर्णय का आधार रखते हैं समाज कार्यकर्ताओं के रूप में हमारी रूचि आचार संहिता में है जिससे सेवार्थी, हमारे सहकर्मियों, हमारे उच्च अधिकारियों और हमारे अधीनस्थ कर्मचारियो के साथ हमारे सम्बन्ध समाज कार्य मूल्यों के ढाँचे में रहें।

समाज कार्य सामाजिक डार्विनवाद और उपयोगितावाद के अस्वीकार करता है। समाज कार्य प्रारम्भ में अमेरिका सहित पाश्चात्य देशों में सामने आया इसलिए यह जूडो इसाई मूल्यों से प्रभावित है। व्यवसाय के रूप में ज्यों ही यह खाड़ी और दूसरें एशियाई भागों में फैलना प्रारम्भ हुआ, इन देशों की धार्मिक परम्पराओं ने भी इन क्षेत्रों में समाज कार्य व्यवसाय को प्रभावित किया। समाज कार्य कर्ता व्यवसाय के अन्तगर्त स्वदेशी मूल्यों को आत्मसात करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि व्यवसाय को लोगों की बेहतर मान्यता और स्वीकृति प्राप्त हो। यह एक प्रवर्धित प्रक्रिया होगी जैसे कि सर्वाधिक उत्तर–औपनिवेशिक

समाज अभी तक औपनिवेशिक अनुभव से बौद्धिक और शैक्षिक रूप से पुनः ठीक हो रहे हैं।

वैज्ञानिक मूल्यों और पद्धतियों ने भी समाज कार्य व्यवहार को प्रभावित किया है यह आश्चर्य जनक प्रतीत हो सकता है कि समाज कार्य विज्ञान और धर्म के दो दृश्यमान विपरीत मूल्यों द्वारा प्रभावित होता है। समाज कार्य उन धार्मिक मूल्यों को अस्वीकार करता है जो कि यह वकालत करते हैं कि एक व्यक्ति अन्य सांसरिक करणों जैसे ईश्वर के क्रोध या दैववाद के परिणामस्वरूप कष्ट उठाता है। यह विश्वास करता है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास अपनी समस्याओं का समाधान करने की क्षमता होती है यदि उसे अनिवार्य संसाधनों को उपलब्ध कराया जाए। परिणाम स्वरूप वे कारक जो एक व्यक्ति की समस्या या सामाजिक समस्या को उत्पन्न करते हैं उनकी पहचान, अवलोकन, विवरण, वर्गीकरण और स्पष्टीकरण नामक वैज्ञानिक पद्धतियों के प्रयोग द्वारा की जाती है। समाधान, तर्क संगतता के आधार पर निर्धारित और निरूपित किए जाते हैं। इन स्रोतों से प्राप्त किए गए मूल्य है–सेवा; सामाजिक न्याय; व्यक्ति की योग्यता एवं गरिमा; मानवीय सम्बन्धों की महत्ता; ईमानदारी; सम्र्थता।

आपने अनिवार्य रूप से ध्यान दिया होगा कि व्यावसायिक व्यक्ति जो कि मानव शरीर, मानव के चेतन तत्व और मानवीय सम्बन्धों के साथ कार्य करते हैं वे हमेशा आचरण के नियमों को धारित किए होते हैं। चिकित्सको के लिए एक आचार संहिता होती है जिसका अनुकरण उन्हें उस समय करना पड़ता है जब वे व्यवसाय कर रहे होते हैं चिकित्सक अपनी योग्यताओं और निर्णयन के अनुसार, केवल लाभदायक उपचार का नुस्खा लिखने के लिए हानि या दुख पहुँचाने का करण बनने से दूर रहने के लिए और एक उदाहरण प्रस्तुत करने वाले व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन जीने के लिए वचनबद्ध होते हैं। वकीलों के लिए उनकी अपनी नियम संहिता होती है जिसका अनुकरण उनहें उस समय करना पड़ता है जब वे मुवक्किल के साथ अन्तःक्रिया कर रहे होते हैं, एक जज के समाने दलीले दे रहे हो और गवाह से प्रश्न पूँछ रहे हो। ये नियम संहिताएँ उस अवधि के दौरान विकसित हुई जब इन व्यवसायों का समाज में उदगमन हुआ। जैसे ही इन व्यवसायों का उदगमन हुआ, इन स्थितियों का दुरूपयोग चरित्रहीन व्यक्तियों द्वारा, जिन्होंने व्यवसाय को क्षति पहुँचायी, किए जाने के विभिन्न उदाहरण थे। संहिता का निरूपण हो गया था इसलिए ऐसे व्यावसायिक व्यक्तियों का व्यवहार नियन्त्रित है और समाज का उनमें विश्वास खोया नही है।

व्यावसायों जिनकी आचार संहिता होती है समान्यतः उनके पास व्यावसायिक साथियों का निकाय होता है जो कि व्यावसायिक संस्था द्वारा उनके कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण के लिए चयनित किए जाते हैं। उन्नत देशों मे इन निकायों के पास व्यापक शक्तियाँ होती हैं। इसमे दोषी सदस्यें की निन्दा करने की, सदस्य पर जुर्माना करने और यहाँ तक कि व्यवहार करने के अनुज्ञापत्र को रद्द करने की शक्ति सम्मिलित है। जब एक पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति झूठी शपथ के आरोप में दोषी पाए गए तो उनके गृह राज्य की बारऐसोसिएशन ने उनके न्यायालय मे वकालत की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया था और अब उन्हें उस राज्य में वकालत करने की आज्ञा नहीं है। भारत में चिकित्सक की अुनज्ञप्ति को उसके ऊपर यह आरोपित किए जाने के पश्चात कि उसने एक ऐसी औषधि को विज्ञापित किया है जो कि चिकित्सा परिषद् द्वारा निर्धारित मानक के समान नहीं थी, चिकित्सा परिषद ने रद्द कर दिया था। निश्चित रूप से इन दोनों उच्च पार्श्वदृश्य वाले मामलों में समस्या के लिए एक राजनीतिक पक्ष विद्यमान था जिनसे उनकी अपनी–अपनी समितियों को उस प्रकार का कठोर कदम उठाने के लिए निर्देशित किया। परन्तु ये यह भी प्रदर्शित करता है कि व्यवसाय की संहिताएँ एक गम्भीर विषय है और वे व्यावसायिक निकाय, शक्तिशाली संस्थाएँ हैं। अब हम विशेष रूप से समाज कार्य की आचार संहिता की ओर चलते हैं।

समाज कार्य व्यवहार में नैतिक आचरण की आवश्यकता

समाज कार्य एक समस्या समाधान का व्यवसाय है। समाज कार्यकर्ता अधिकतर भिन्न और जटिल स्थितियों का समाना करता है। संहिताएँ व्यावसायिक व्यक्तियों को कठिन परिस्थितियों में नैतिकता के आधार पर कार्य करने में सहायता करती है। समाज कार्य में इस प्रकार के व्यवहार की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों की वजह से महत्वपूर्ण है।

समाज कार्यकताओं का उनके सेवार्थियों के साथ अन्तःक्रिया के दौरान और संवेनशील सूचना प्राप्त करने के लिए सम्बद्ध होना

सेवार्थी का इस सूचना को बताने का उद्देश्य, समाज कार्यकर्ता को समस्या में और उसके बाद सेवार्थी की समस्या के समाधान में सहायता के लिए बेहतर अन्तर्दृष्टि पाने के लिए समर्थ करना है। परन्तु यदि समाज कार्यकर्ता इस संदेवनशली सूचना को भूल से या दूसरों के प्रयोजन हेतु व्यक्त करना है तो वह सेवार्थी के उद्देश्य को नुकसान पहुँचा रहा होगा और आगे के लिए समस्या को जटिल बना रहा होगा। इस स्थिति में गोपनीयता के सिद्धान्त का कठोरता से पालन करना अनिवार्य है।

समाज कार्यकर्ता प्रायः परिस्थितियों में होते हैं जहाँ उनके निर्णय सेवार्थी के लिए गम्भीर क्षति उत्पन्न कर सकते हैं

प्रायः समाज कार्यकर्ता ऐसे सेवार्थियों के साथ कार्य करते हैं जो कि गम्भीर समस्याओं का समाना कर रहे होते हैं। प्रायः उनके व्यक्तित्व विघटित हाते हैं और कदाचित वे ऐसी स्थिति में हो सकते हैं कि उनका भावनात्मक और शारीरिक दुरूपयोग हो सकता है। वस्तुतः अन्य बातों में समाज कार्यकर्ता औ सेवार्थी में सम्मिलित संबंध होते हैं। वैयक्तिक कार्यकर्ता के पास सेवार्थी की तुलना में अधिक ज्ञान और भावनाओं पर वृहत्तर नियन्त्रण होता है। इस शक्ति का प्रयोग सेवार्थी के अहित के लिए नहीं होना चाहिए। कुछ मामलो में वैयक्तिक कार्यकर्ता अचेतन रूप से त्रुटि कर सकता है जो कि सेवार्थी को नुकसान पहुँचा सकती है। इस प्रकर की त्रुटियों के अवसर न्यूनतम होते हैं जबकि समाज कार्यकर्ता ने समाज कार्य की आचार संहिता को अर्न्तनिहित कर लिया है।

समाज कार्यकर्ता सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं में प्राधिकारी के पद अभिग्रहण करते हैं।

किसी भी प्राधिकर के पद में उत्तरदायित्व का तत्व संलग्न होता है। उत्तरदायित्व का अर्थ है योग्यता होना। निश्चित वस्तु आपके सुपुर्द कर दी गयी है और उसके उपयोग के पश्चात आपने क्या उपयोग किया किस उद्देश्य के लिए कितना उपयोग किया और उसका क्या प्रभाव है, के लिए आप उत्तरदायी हैं। दूसरों से असदृश, समाज कार्यकर्ता का एक अतिरिक्त उत्तरदायित्व है–उन्हें ध्यान रखना है कि मुनष्य की गरिमा औ मुनष्य का आत्म सुरक्षित है।

सम्भवतः कोई अन्य व्यवसाय इन पहलुओं के साथ इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से कार्य नहीं करता जैसा कि समाज कार्यकर्ता करता है। एक पुलिस वाले को केवल यह विचार करना होता है कि या तो उसकी कार्यवाही अपराध दर को कम करेगी और या फिर जब वह कार्य कर रहा है तो वह कानून की प्रक्रिया का सही अनुकरण कर हरा है। एक अधिवक्ता को केवल यह विचार करना पड़ता है कि उसके मुवक्किल का कौन सा हित उसके कार्यों द्वारा पूरा होगा। एक धर्माचार्य को केवल यह चिंता होती है कि उसके कौन से कार्य व्यक्ति की धार्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहयक होंगे। परन्तु समाज कार्यकर्ता को अपने निर्णयों में मनुष्य की गरिमा और मनुष्य के आत्म के साथ मानवोचित लगाव को व्यक्त करना पड़ता है।

समाज कार्यकर्ता प्रायः ऐसे पदों पर होते हैं जहां संसाधनों का बंटवारा कर सकते हैं

अधिकतर मामलों में, संसाधनों का एक पक्ष के लिए बंटवारे का अर्थ है यह दूसरों को नहीं वितरित किया जाएगा जो भी कदाचित आवश्यकता ग्रस्त हों। यह एक भारत जैसे देश की वास्तविकता है जहाँ लगभग हर जगह अभाव विद्यमान है। एक दत्तक ग्रहण केन्द्र में समाज कार्यकर्ता कदाचित बताए कि कौन से विशेष युगल को बच्चे को गोद लेने की मंजूरी दी जा सकती है। समाज कार्यकार्ता का यह विचार कम से कम तीन व्यक्तियो के जीवन को दिशा प्रदान करेगा।

समाज कार्यकर्ताओं को व्यावसायिक स्वायत्तता को सुरक्षित रखना पड़ता है

एक प्रजातांत्रिक देश में सरकार के पास अन्तिम सत्ता होती है और यह अन्य संस्थाओं के विनियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। परन्तु कभी–कभी यह विनियमन व्यवसाय के आन्तरिक मामलों के भीतर एक अतिक्रमण होता है। यदि व्यावसायिक व्यक्ति स्वयं अपने मामलों का विनियमन करें तो सरकार की कार्यवाही अनावश्यक हो जएगी और उनकी व्यावसायिक स्वायत्तता सुरक्षित रह सकती है।

नैतिक संहिता का प्रयोजन

हम समाज कार्य में नैतिक व्यवहारों के महत्व को जान चुके हैं। उन देशो में जहाँ समाज कार्य में एक व्यवसाय को रूप में समाज द्वारा पूर्णतया स्वीकृत किया जा चुका है उनके पास एक नैतिक संहिता है। एक संहिता, कार्य प्रणाली या कार्य संचालन के व्यवस्थापन और नियमों का व्यवस्थिति संग्रह है। समाज कार्य में नैतिक संहिता को नियमों और विनियमों का समुच्चय कहा जा सकता है जबकि यह समाज कार्यकर्ता के आचरण को उसके सेवार्थी, व्यावसायिक साथियों, सहकर्मियों, संस्था और समाज के साथ उसके सम्बन्धों में, नियन्त्रित करेंगे।

समाज कार्यकर्ताओं के राष्ट्रीय संघ, अमेरिका (एन. ए. एस. डब्ल्यू.) के अनुसार आचार संहिताएँ 6 उद्देश्यों की पूर्ति करती है।

1) संहिता, केन्द्रीय मूल्यों का अभिनिर्धारण करती है जन परसमाज कार्य का उद्देश्य आधारित रहता है।

2) संहिता विस्तृत नैतिक ध्द्वान्तों का सारांश प्रस्तुत करती है जो व्यवसाय के केन्द्रीय मूल्यों को व्यक्त करता है और एक विशिष्ट नैतिक मानदण्डों के

समन्वय को स्थापित करता है जो कि समाज कार्य व्यवहार के पथ प्रदर्शन के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए।

3) संहिता की अभिकल्पना समाज कार्यकर्ताओं के सुसंगत विचारों के निर्धारण में सहायता के लिए की गयी है जब व्यावसायिक जिम्मेदारियों में संघर्ष हो या नैतिक अनिश्चितताएँ अस्तित्व में आएँ।

4) संहिता नैतिक मानदण्डों का प्रबन्ध करती है जिससे कि सामान्य जनता समाज कार्य व्यवसाय की जवाबदेही को नियन्त्रित कर सके।

5) संहिता व्यवसायी का, समाज कार्य के उद्देश्यो के क्षेत्र, मूल्यों नैतिक सिद्धान्तों और नैतिक मानदण्डों से परिचित होने के लिए समाजीकरण करती है।

6) संहिता मानदण्डों को स्पष्ट उच्चारित करती है ताकि समाज कार्य व्यवसाय स्वयं इसका उपयोग, जहाँ समाज कार्यकर्ता अनैतिक आचरण में लगे हैं, मूल्यांकन के लिए कर सके।

ये संहिताएँ व्यवसाय में विशेषज्ञों द्वारा निरूपित की गयी है और उस देश के समाज कार्य संघ की सामान्य सभाके सामने प्रस्तुत की गयी है। यहां विषयों पर गहनता से विचार–विमर्श किया गया है। उस पर विभिन्न दृष्टिकोण व्यक्त किए गए हैं और वाद विवाद किया गया है।इस प्रकरके व्यापक प्रकार के विचार–विमर्शों और विभिन्न संशोधनों के पश्चात संहिता के अन्तिम प्रारूप पर मतदान हुआ और स्वीकार कर दिया गया। सभा द्वारा समाज कार्यकर्ताओं की प्रमुख सहभागिताओं प्रजातांत्रिक प्रक्रिया का अनुसरण किया गया जो कि सुनिश्चित करता है कि संहिताओं ने व्यापक स्वीकृति प्राप्त कर ली है। इसका इन देशों में समाज कार्यकर्ताओं के व्यवहार के आचरण पर प्रभाव है। यदि कोई संहिता को तोड़ता पाया जाता है तो एक औपचारिक जाँच के पश्चात कार्यवाही की जाती है।

परन्तु भारत में संघ विद्यमान नही है जो कि समाज कार्यकर्ताओं के मध्य इस प्रकार के निर्देश देने का अधिकारी हो। कुछ संघों जो कि मुख्य रूप से क्षेत्रीय हैं, उन्होंने स्वयं अपने लिए आचार संहिता विकसित की है। परन्तु ऐसे संघों के पास चुनिंदा और देश के सीमित संख्या के समाज कार्यकर्ता, सदस्य हैं, इसका समाज कार्य व्यवहार पर प्रभाव सीमित है। सरकार ने भी किसी निकाय को मान्यता प्रदान नहीं की है और समाज कार्य को विनियमित करने के लिए किसी को प्राधिकार नही सौंपा है। देश में

समाज कार्य व्यवहार को विनियमित करने हेतु व्यावसायिक समाज कार्यकर्ताओं का एक विधेयक निरूपित करने का प्रयास किया गया था। परन्तु उसका कोई परिणाम नहीं निकला। यहीं हमने आचार संहिता का प्रतिरूप प्रदर्शित करने का प्रयास किया है जो कि भारत के सन्दर्भ में समाज कार्य व्यवहार में प्रयोग की जा सकती है। समाज कार्यकर्ताओं को इन संहिताओं से यहाँ तक कि उनके प्रशिक्षण अवधि के दौरान, जुड़े रहने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। ज्यों ही एक व्यक्ति इस संहिता के साथ–साथ आगे बढ़ता है यह ध्यान दिया जायेगा कि अन्ततः यह उस व्यक्ति का दायित्व है कि वह इन मानदण्डों को अपने व्यवहार में अनुरक्षित करे। बाहरी संस्थाएँ समाज कार्यकर्ताओं के व्यवहार को केवल निश्चित सीमा तक ही विनियमित कर सकती हैं इसलिए यह आवश्यक है कि हम इन मूल्यों को आत्मसात करें और उन्हें अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बनाएँ।

भारतीय समाज कार्यकर्ताओं के लिए एक आदर्श नैतिक संहिता

(अब तक भारत में कोई नैतिक संहिता उपलब्ध नहीं है। विभिन्न देशों के भिन्न–भिन्न संघों की नैतिक संहिताओं के आधार पर निम्नलिखित नैतिक संहिता को विकसित किया गया है। यह विवेचन इसका पालन करता है कि संहिता हमारे द्वारा विकसित की गयी है और यह भारतीय दशाओं का ध्यान में रखती है)।

समाज कार्य व्यवसाय का मिशन आन्तरिक मूल्यों के समुच्चय में दृढ़ रूप से स्थिर है। इन केन्द्रीय मूल्यों को समाज कार्यकर्ताओं द्वारा व्यवसाय के इतिहास में पूरे समय अंगीकार किया गया है जो कि समाज कार्य के अनुपम उद्देश्य और परिप्रेक्ष्य का आधार है। ये आन्तरिक मूल्य हैं–

- सेवा
- सामाजिक न्याय
- व्यक्ति की योग्यता और गरिमा
- मानवीय सम्बन्धों का महत्व
- अखण्डता
- समर्थता

1) समाज कार्यकर्ता के रूप में समाज कार्यकर्ता का आचरण और व्यवहार

समाज कार्यकर्ता को व्यक्तिगत आचरण के उच्च मानदण्डों के अनुरूप कार्य करना चाहिए।

समाज कार्यकर्ता को व्यक्तिगत आचरण के उच्च मानदण्डों को बनाए रखना चाहिए जब वह दूसरों के साथ कार्य कर रहा हो। आचरण के उच्च मानदण्डों का अर्थ होगा कि समाज कार्यकर्ता को बेईमानी के कार्यों, धोखेबाजी और चालबाजी में लिप्त नहीं होना चाहिए। सामान्यतया एक व्यक्ति का जीवन दो भागों में विभाजित होता है। व्यावसायिक और व्यक्तिगत। व्यक्ति का व्यावसायिक जीवन तथाकथित रूप से खुला हुआ होता है और व्यक्तिगत जीवन जहाँ कि व्यक्ति के पास बिना कानून तोड़े, जिससे वह खुश रहे, वैसा करने की स्वतंत्रता होती है। परन्तु समाज कार्यकर्ता, का यहाँ तक कि उसके व्यक्तिगत जीवन में महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व होता है। उदाहरण के लिए यह अनुपयुक्त है कि एक समाज कार्यकर्ता द्विविवाही हो और तो भी वह समुदाय के सम्मान को एक पथ प्रदर्शक या नेता के रूप में बनाए रखे।

समाज कार्यकर्ता को सक्षमता का एक उच्चस्तर व्यवसाय के व्यवहार में निपुणता को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए

उत्कृष्टता को प्राप्त करना प्रत्येक वचनबद्ध व्यावसायिक व्यक्ति का एक इच्छित लक्ष्य होता है, यह मायने नहीं रखता कि क्षेत्र क्या है। समाज कार्यकर्ता इस पहलू में दूसरों से अलग नहीं है। समाज कार्यकर्ता को उसके कार्य से सम्बन्धित क्षेत्र के विषय में विभिन्न पहलुओं में अपने ज्ञान का संवर्धन करना चाहिए।

समाज कार्यकर्ता को केवल वे मामले लेने चाहिए जिनकी कि वह अपनी समर्थता के स्तर के साथ देखभाल कर सके। जहाँ समाज कार्यकर्ता का निर्णय लेना है, वहाँ घटना से सम्बन्धित तथ्यों और परिस्थितियों के एक खुले और निष्पक्ष अध्ययन के पश्चात मामले को बनाना चाहिए। मामले को लेने के पश्चात यदि किसी भी चरण पर समाज कार्यकर्ता को महसूस होता है कि मामला उसकी क्षमता से परे है तो उसे मामले का एक अधिक सक्षम व्यावसायिक व्यक्ति को सौंपने की व्यवस्था करनी चाहिए।

कुछ मामलों में समाज कार्यकर्ता स्वयं तनावपूर्ण स्थिति का अनुभव कर सकता है जो उसके निष्पादन पर प्रभाव डाल सकता है। समाज कार्यकर्ता की व्यावसायिक सहायता होनी चाहिए और अपने सेवार्थी के लिए विकल्प तैयार करना चाहिए। यहाँ तक कि

अन्य प्रकार से समाज कार्यकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी समस्याएँ उसके सेवार्थी के साथ वयवहार में बाधा न पहुँचाए और परिणाम स्वरूप सेवार्थी को प्रतिकूल रूप से प्रभावित न करें। समाज कार्यकर्ता को नौकरी या पदोन्नति पाने के लिए अपनी शैक्षिक योग्यात और अनुभव का मिथ्या निरूपण नहीं करना चाहिए।

समाज कार्यकर्ता समाज कार्य व्यवसाय के सेवाकार्य के दायित्व का सम्मान प्राथमिक रूप में करता है।

समाज कार्य एक व्यवसाय के रूप में अस्तित्व सेवार्थियों को प्रभावी सेवा उपलब्ध कराने से वैध होता है। समाज कार्यकर्ता को व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करने की आज्ञा है जो कि प्रदत्त करती है कि उस व्यक्ति का उत्तरदायित्व वह लेता/लेती है। सेवार्थी को उसके व्यक्तिगत गुणों की परवाह किए बगैर स्वीकृति सम्बन्धों में महत्वपूर्ण होती है। व्यावसायिक व्यक्ति को यह सुनिशिचित कर लेना चाहिए कि उसके कार्य में और उसके प्राधिकार के क्षेत्र मे विभेदात्मक और अमानवीय कृत्यों की आज्ञा नहीं है।

समाज कार्यकर्ता को व्यावसायिक अखण्डता और निष्पक्षता के उच्च मानदण्डों के अनुरूप कार्य करना चाहिए

समाज कार्यकर्ता को समाज कार्य मूल्यों और सिद्धान्तों के इसके व्यवहार में अनुप्रयुक्त होने के लिए सुनिश्चित करने को ध्यान में रखना चाहिए उसे सभी हानिकारक प्रभावों, जिनके स्रोत संस्था के भीतर या संस्था के बाहर हैं, उनका प्रतिरोध करने के योग्य होना चाहिए: सहकर्मियों से, अधीनस्थ या उच्च अधिकारी, नौकरशाहों से, राजनीतिज्ञों या कोई भी अन्य जो किस ऐसा करने की स्थिति में हैं। समाज कार्यकर्ता को व्यावसायिक सम्बन्धों को प्रयोग व्यक्तिगत लाभ के लिएनहीकरना चाहिये।

समाज कार्यकर्ता को अध्ययन में लगा होना चाहिए और शोध को विद्वानोचित जाँच के समायोजन द्वारा निर्देशित होना चाहिए

समाज कार्य में शोध मानवीय समस्याओं से सम्बन्धित होती हैं और जो लोग इन समस्याओं का अनुभव कर रहे हैं। वे प्रायः कठोर मानसिक आघात से अधिक अनुभव नहीं कर रहे हैं। शोधकर्ता जब इन स्रोतों से सूचनाएँ एकत्रित कर रहा होता है तो उसे समस्या को संवेदनशीलता का विवरण, व्यक्ति के लिए बनायी जाने वाली प्रक्रिया का प्रभाव और सम्पूर्ण सेस्टा के विषय में सेव वितरण के प्रभाव को लेना चाहिए। शोधकर्ता का शोध प्रक्रिया में सहभगिता हेतु किसी के भी साथ जोर जबदरस्ती नहीं करना

चाहिएँ। आगे, यह ध्यान में रखना चाहिए कि शोध कार्य में सहभागिता के परिणाम के रूप में उत्तरदाता का कोई नुकसान न होने पाए।

II) समाज कार्यकर्ता का सेवार्थी के प्रति नैतिक उत्तरदायित्व

समाज कार्यकर्ता का प्राथमिक उत्तरदायित्व सेवार्थी के सर्वश्रेष्ट हितलाभ की ओर है

समाज कार्यकर्ता से अपेक्षा की जाती है कि वह सेवार्थी की सेवापूर्ण निष्ठा और अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता के साथ करें। सर्वश्रेष्ठ हितलाभ वाक्यांश कहने में आसान है परन्तु वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के व्यवहार में कठिन है। भातीय परिस्थितियो में सेवार्थी के कल्याण से सम्बन्धित बहुत से पहलुओं के विषय में कदाचित समझौता करना पड़ सकता है क्योंकि उपलब्ध विकल्प बहुत सीमित होते हैं। समाज कल्याण कार्यक्रमों और समाज कल्याण संस्थाओं की अपनी सीमा हैं और इसलिए नौकाशाही इन कार्यक्रमों का प्रबन्ध और कार्यान्वयन करती है। इसके अतिरिक्त, समाज में विभिन्न स्तरों पर प्रचलित सामाजिक नियन्त्रण विन्यास की कठोरता व्यक्तियों द्वारा स्वतंत्र कार्य के लिए क्षेत्र को सीमित करती है। उदाहरणके लिए एक महिला जो कि अपने पति के परिवार द्वारा अतिरिक्त दहेज के लिए उत्पीरड़न का समाना कर रही है, उसके लिए अत्यधिक सम्भावना यह है कि उसे वापस घर में ले लिया जाये क्योंकि इसमें मुश्किल से ही कोई विकल्प हैं। उकसे माता–पिता उसे अपने घर में अपमान और उसके भविष्य की आशंका से नहीं रखना चाहते हैं। इन मामलों में समाज कार्यकर्ता को भी उपलब्ध विकल्प को स्वीकारना और उसके अनुरूप कार्य करना पड़ता है। परन्तु समाज कार्यकर्ता महिला की स्थिति की जाँच के लिए पुनः मुलाकात कर सकते हैं और आगे उत्पीड़न को रोक सकते है। समाज कार्यकार्ता को किसी भी परिस्थिति में सेवार्थी के साथ सम्बन्धों को व्यक्तिगत हित लाभ के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए।

समाज कार्यकर्ता को साथी समाज कार्यकर्ताओं और दूसरे विषयों के व्यावसायिकों को सहयोग देना और परामर्श करना चाहिए यदि ये सेवार्थी के हितलाभ के लिए कार्य करते हैं कुछ मामलों में दूसरे व्यावसायिक व्यक्ति उतना सहयोगी नहीं होंगे जैसा कि एक को होना चाहिये, तो समाज कार्यकर्ता को याद रखना चाहिए कि उसे सेवार्थी के पूर्णवाद के विचार को लेना है ओ उसकी योग्यता की रक्षा भी करना है। अतः वह सेवार्थी के हितलाभ में अपने अहम को एक तरफ रख सकता है।

भारतीय परिस्थिति में समाज कार्यकर्ता को देखना चाहिए कि सेवार्थी के साथ लिंग, जाति, धर्म, भाषा, पूजा पाठ, वैवाहिक–स्तर या लैंगिक प्राथमिकता के आधार की योग्यता के विषय में गलत बयान होगा यदि वह सेवार्थी के जीवन के उन क्षेत्रों में हस्तक्षेप करके जो कि प्रत्यक्ष रूप से समस्या से सम्बधित नही है। उदाहरण के लिए एक समाज कार्यकर्ता कदाचित एक सदाचारी हो जो कि विश्वास करता है कि समलिंगी कामुकता एक पाप है परनतु उसका सेवार्थी जो उसके पास एच. आई. वी. /एड्स के विषय में परामर्श के लिए आया है कदाचित समलिंगी हो। इस प्रकारकी परिस्थित में उसे रोगी को दोषी नहीं ठहराना चाहिये।। यह हमेशा वॉछनीय है कि सेवार्थी की समस्या को उसके परिप्रेक्ष्य से समझना चाहिए।

सेवार्थी के अधिकार और विशेषाधिकार:

समाज कार्यकर्ता को प्रत्येक प्रयास सेवार्थी की योग्यता में अधिकतम आत्म निश्चय को प्रोत्साहित करना चाहिए। आत्मनिश्चय का अर्थ है सेवार्थी की निर्णयों के लेने में अनिवार्य अवसरों, सहारा आत्मविश्वास और ज्ञान देना जो उसके जीवन को प्रभावित करेगा। समाज कार्यकर्ता जब ऐसी परिस्थतियों में होता है जहाँ सेवार्थी निर्णयों को नहीं ले सकता तो उसे सेवार्थी के अधिकारों, उसकी सामाजिक–सांस्कृतिक परिस्थिति और अन्य प्रासंगिक तथ्यों जो सेवार्थी को प्रभावित करते हैं, को अपने मस्तिष्क में रखना चाहिए।

गोपनीयता और एकांतता

समाज कार्यकर्ता को सेवार्थी की एकांतता का सम्मान करना चाहिए और व्यावसायिक सेवा की अवधि के दौरान प्राप्त की गयी समस्त सूचनाओं को गुप्त रखना चाहिए। सेवार्थी के सम्बन्ध में सूचना सेवार्थी के संज्ञान और उसकी सहमति से उन व्यक्तियों को दी जा सकती है जिन्हें सूचित करने की आवश्यकता है। अभिलिखित की गयी, सूचना को सावधानी पूर्वक अनुरक्षित करना चाहिए और इन अभिलेखों तक पहुँच को प्रतिबन्धित कर देना चाहिए।

जब सूचना को अन्य लोगों को बताना हो तो समाज कार्यकर्ता को चाहिए कि वह इसके बारे में सेवार्थी का बताए और उसकी सहमति प्राप्त करने की कोशिश करे। इसके सम्बन्ध में सेवार्थी की भावनाओं औ संवेगों का सम्मान किया जाना चाहिए और कदाचित उसी के अनुरूप कार्य किया जाना चाहिए।

शुल्क

समाज कार्यकर्ता जब शुल्क निर्धारण करे तो उसे सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि की गयी सेवा और सेवार्थी की देय क्षमता को ध्यान में रखते हुए उचित तर्क संगत, विचारशील और सहमति पर अधारित हो।

समाज कार्यकर्ता सिर्फ धन कमाने के व्यवसाय में नहीं है। समाज कार्यकर्ताओं को अपने प्रयासों को धन कमाने के कार्यों के रूप में नहीं करना चाहिए। इसलिए समाज कार्यकर्ता को वह शुल्क लेना चाहिए जो कि उचित ओ न्यायसंगत हो। इसको समाज कार्यकर्ता द्वारा सेवा देने के दौरान प्रयुक्त समय और विशेषज्ञता के अन्तर्गत रखकर विचार किया जाना चाहिए।

यह कदाचित ध्यान देने योग्य है कि पाश्चात्य देशों की तरह भारत में समाज कार्य व्यवहार अभी तक व्यावसायिक स्तर प्राप्त नहीं कर सका है। यहाँ कोई गुण्वत्ता को प्रमाणित करने वाला संगठन या व्यवस्थापन निकाय नही है। सामान्य व्यक्ति समाज कार्य व्यवसाय के बारे में तथा इससे किसी व्यक्ति को प्राप्त होने वाले हित लाभ के बारे में पर्याप्त रूप से शिक्षित एवं जानकारी नहीं है।

जिस दिन से समाज कार्यकर्ता संस्थाओं द्वारा सेवायोजित और भुगतान प्राप्त करता है तो उसी दिन वह वित्तीय लाभ के लिए निजी कार्य (व्यवहार) मुश्किल से कर पाता है।

III) समाज कार्यकर्ता का सहकर्मियों के प्रति नैतिक दायित्व

सम्मान, निष्पक्षता ओ शिष्टाचारः

समाज कार्यकर्ता को सहकर्मियों के साथ सम्मान, शिष्टाचार, निष्पक्षता और भलाईपूर्वक व्यवकाहर करना चाहिए। यह समाज कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत सहकर्नियों तथा अन्य व्यवसायों के सदस्यों पर भी लागू होता है।

समाज कार्यकर्ता को जन सामान्य के लिए समाज सेवा उपलब्ध कराने में व्यवसाय की सहायता करनी चाहिएः समाज कार्यकर्ता की समाज सेवाओं का उपलब्ध कराने में संलिप्तता उसके कार्य के घंटों के साथ समाप्त नहीं हो जाती है। समाज कार्यकर्ता को अपना समय और विशेषज्ञता को प्रयासों के लिए ऐसे उपलब्ध करना चाहिए जो समाज में सुधार का पता लगाते हैं।

समाज कार्यकर्ता को व्यावसायिक व्यवहार के लिए पहचान करने, विकास करने और ज्ञान का पूर्ण उपयोग करने के उत्तरदायित्व को ग्रहण करना चाहिए: नए ज्ञान का अनुसरण और वर्तमान ज्ञान से सम्बधित मुददों का स्पष्टीकरण किसी भी व्यवसाय का महत्वूपर्ण लक्ष्य होता है। समाज कार्यकर्ता को ज्ञान के संवर्धन की निरन्तर प्रक्रिया में भागीदार होना चाहिए और स्वयं को विषय से सम्बन्धित नवीन विकासों के बारे में जानकारी करनी चाहिए।

VI) समाज कार्यकर्ता का समाज के प्रति नैतिक उत्तरदायित्व

समान्य कल्याण को प्रोत्साहनः समाज कार्यकर्ता को समाज के सामान्य कल्याण को बढ़ावा देना चाहिए। समाज कार्यकर्ता को ऐसे सभी प्रयासों में भाग लेना चाहिए जो विभेदीकरण और निषेध, मानवाधिकारों के हनन को उन्मूलन करते हैं और सामाजिकता को बढ़ावा देते हैं।

नैतिक संहिता विषयक निर्णय लेने में समाज कार्यकर्ता के सम्मुख आने वाली समस्याएँ

नैतिक संहिता विषयक निर्णय लेना किसी भी समाज में कठिन होता है इसलिए यह समाज कार्यकर्ता के लिए प्रतिकूल परिणाम में परिणत हो सकता है। उसे नुकसान उठाना पड़ सकता है क्योंकि उसके निर्णय कुछ व्यक्तियों या समूहों की रूचियों की हानि पहुँचा सकते हैं। जो स्थिति से लाभ पाने का इरादा रखते हैं।

भारतीय समाज मे मूल्यों का संकट

कई समाज वैज्ञानिकों ने भारतीय समाज में मूल्यों के संकट पर विचार प्रकट किए हैं। भारतीय समाज में दूसरे के लिए ईमानदारी और शिष्टाचार सरकारी कर्मचारियों और निगमों के मध्य उत्तरदायित्व आदि में मूल्यों का अभाव दिखायी दे रहा है। कुछ के अनुसार संकट के कारण है इस लिए है क्यों कि हम अपने प्राचीन मूल्यों को छोड़ चुके है। दूसरों के लिए मूल्यों से संबधिक संकट विद्यमान है क्योंकि भारतीय समाज इस समय आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजर रहा है। समाज कार्यकर्ता को इस प्रकर की परिस्थितियों में रहना और कार्य करना होता है और वे स्वाभविक रूप से इनसे प्रभावित होते हैं।

धन कमाने के प्रयास के रूप में स्वैच्छिक संस्थाएँ

अन्तर्राष्ट्रीय दानदाताओं और साथ ही साथ स्थानीय और सरकारी स्रोतों द्वारा बड़ी मात्रा में निधियों की उपलब्धता के कारण असंख्य स्वैच्छिक संस्थाओं की स्थापना को सुनिश्चित किया है। इनमें से बहुत सी संस्थाएँ लोगों के लिए कार्य कारने का दावा करती हैं। परन्तु वास्तविक उद्देश्य उनके धन कमाना प्रतीत होता है। भ्रष्टाचार, अनुपयुक्त तरीके से धन का प्रयोग, उत्तरदायित्व की कमी और अनुचित लेखा प्रक्रिया कुछ ऐसे आरोप हैं। जो कि इन संस्थाओं के विरूद्ध लगाए जाते हैं। इस प्रक्रिया में स्वैच्छिक संस्थाओं और गैर सरकारी संगठनों की स्थापना का वास्तविक प्रयोजन और आदर्श असफल हो गया है।

समाज कार्य सम्बन्धी मुद्दों में समान्य परिदृश्य का अभाव

अनेक दिशाओं में भारतीय समाज एक संक्रमण की स्थिति में है। व्यक्ति से सम्बन्धित कुछ निश्चित मुद्दों स्वयात्तता, सामूहिक पूर्वाभिमुखीकरण, व्यक्तिगत अधिकारों और उत्तरदायित्वों को किसी भी समाज में विलय करना कठिन है भारतीय समाज पारम्परिक और आधुनिक शक्तियो में जकड़ा हुआ है और इन मुद्दों से सम्बन्धित उसकी अनेकों समस्याएँ. हैं। विभिन्न समूह भी पाश्चात्यीकरण द्वारा विभिन्न रूपों से प्रभावित होते हैं। ये सभी समाज कार्यकर्ता के अर्न्तैयक्तिक संबंधों में समस्या उत्पन्न करते हैं।

समाज कार्यकर्ता की शक्तिहीनता

बहुत से, मामलों में समाज कार्यकर्ता शिष्टाचार के साथ कार्य करने का इरादा करता है परन्तु ऐसा करने के लिए उसके पास शक्ति की कमी होती है अन्य दूसरी संस्थाओं और प्रधिकारियों के जिन पर समाज कार्यकर्ता निर्भर होता है जब वह कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहा होता है। उनके कार्य करने का तरीका प्रायः उस समाज कार्यकर्ता से बहुत अलग पाया जा सकता है। कई बार कल्याण संस्थाओं में उत्तरदायित्व की कमी, कर्मचारियों की अवहेलना, निहित स्वार्थ और यहाँ तक कि अपराधियों की समस्यों पायी जाती हैं। समाज कार्यकर्ता के पास विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि इनके साथ–साथ चले क्योंकि उसके पास परिस्थितियों के बदलने की शक्ति नहीं है अधिक से अधिक वह न्यूनतम परिवर्तन कर सकता है इससे अधिक कुछ भी करना जोखिम भरा होता है और प्रत्येक व्यक्ति इससे आगे जाने की बर्दाश्त नहीं कर सकता है।

नागरिक समाज द्वारा सहायता की कमी

समान्य रूप से भारत में समज कार्य व्यवसाय ने सरकार और समाज से अधिक मान्यता प्राप्त नही की है। कुछ समाज कार्यकार्ताओं के दुष्कर्मों (उनमें से बहुत से व्यावसायिक नहीं हैं दुर्भाग्य से भारतीय समाज व्यावसायिक और स्वैच्छिक समाज कार्यकर्ताओं में भेद नही करता है), ने समाज कार्यकर्ताओं की छवि और नैतिक अधिकारों को नुकसान पहुँचाने में योगदान दिया है लोग समाज कार्यकर्ताओं के ऊपर उनकी गुप्त प्रेरणाओं के धारण करने के विषय में सन्देह करते है। जब वे सामाजिक मुद्दों को हाथ में लेते हैं। इन सभी से सामाज कार्यकर्ता के लिए लोगों के सहयोग की कमी का परिणाम सामने आया है और उसकी सामाजिक परिवर्तन का प्राप्त करने शक्ति को कमज़ोर कर दिया।

व्यावसायिक निकायों औ व्यवसायिक सहयोग की कमी

एक व्यावसायिक निकाय का अस्तित्व समाज कार्य व्यावसायिकों का अत्यधिक जरूरी प्रशिक्षण और सहायता दे सकता है। दूसरे यदि समाज कार्यकर्ता को प्रासंगिक मुद्दों को विधि सम्मत तरीके से उठाने के लिए कष्ठ उठाना पड़े तो व्यावसायिक निकाय उसे सहयोग दे सकेगा। यह समाज कार्यकर्ता को जनता से सम्बन्धित मुद्दों के बिना भय के हाथ में लेने के लिए सक्षम बनायेगा।

व्यावसायिक आचार संहिता के अध्ययन और विचार विमर्श को महत्व दिए जाने का अभाव

जहाँ सभी समाज कार्य के शिक्षक यह मानते हैं कि समाज कार्य की आचार संहिता महत्वपूर्ण है, इसको पाठ्यक्रम में द्वितीयक महत्व प्रदान किया गया है। छात्र सुगमता पूर्वक मानते है कि यह कुछ अधिक ही आदर्शवादी है जिसका कि क्षेत्र में व्यवहार किया जाना चाहिए। वास्तव में भारत में अधिकारां विशविद्यालयों में समाज कार्य के पाठ्यक्रम में कक्षा–शिक्षण के अंगभूत के रूप में आचार संहिता नही है।

सारांश

इस अध्याय में हमने समाज कार्य नैतिक संहिताओं, इसका व्यवहार में महत्व औ भारत के सन्दर्भ में नैतिक संहिता विषयक निर्णय लेने से सम्बन्धित कुछ कारणों पर विचार किया गया। संहिताएँ क्या उचित होना चाहिये के साथ कार्य करती हैं। ये समाज कार्यकर्ता की जटिल परिस्थितियों के सरलीकरण में सहायता करती है। जिनमें प्रायः

वह अपने को पायेगा। समाज कार्यकर्ताओं को उसे सुपुर्द की गयी संहिताओं के उच्च मानदण्डों का प्राप्त करना पड़ता है। इस प्रक्रिया में जब एक समाज कार्यकर्ता दुर्व्यवहार करता है तो केवल उसकी विश्वसनीयता ही नहीं बल्कि पूरा व्यवसाय प्रभावित होता है।

नैतिक संहिता विषयक निर्णय लेने से सम्बन्धित अनेकों समस्याएँ है। जिनमें से कुछ के विषय में हमने विचार विमर्श किया। ये समस्याएँ दर्शाती है कि समाज कार्यकर्ता को जब वह निर्णय ले रहा हो तो अत्यन्त सावधान रहना चाहिए जो कि शक्तिशाली लोगों को प्रभावित करता है जब तक समाज कार्यकर्ता समाज और सरकार से समुचित मान्यता प्राप्त नहीं करता, समाज में कोई भी आधारभूत परिवर्तन करना कठिन होगा। जब तक यह घटित होगा समाज कार्य विषय समाज में एक द्वितीयक व्यवसाय ही बना रहेगा।

जैसा कि प्रारम्भ में उल्लेख किया जा चुका है कि मान्यता प्राप्त करने के लिए एक अनिवार्य कदम है, व्यावसायिक समाज कार्य संघ का निर्माण जिसको सरकार का अनुमोदन हो और जिसे सदस्यों के व्यावसायिक व्यवहार और आचरण को नियन्त्रित करने का समुचित अधिकर हो। इस संघ के सदस्य, के रूप में केवल प्रशिक्षित व्यावसायिक समाज कार्यकर्ता ही हों और इसके पदाधिकारी लोकप्रिय मतदान के आधार पर चयनित किए जाएँ।

कुछ उपयोगी पुस्तकें

ब्रिटिश एशोसिएशन ऑफ सोशल वर्क (2003), कोड ऑफ इथिक्स।

गेन्सलर, हैरी जे (1988), इथिक्स–ए कन्टेम्पोरेरी इन्ट्रोडक्शन, रुटलेज, लन्दन।

नेशनल एशोसिएशन ऑफ सोशल वर्क (यू०एस०ए०) (2003), कोड और इथिक्स, यू०एस०।